

बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या-3 / कृ० बजट आवंटन-39/2013-190 (आवंटन) / कृ०, पटना दिनांक 03/12/2013

Fax/Mail प्रेषक,

रामजी सिंह,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

संयुक्त कृषि निदेशक

-सह-

नियंत्रक, माप एवं तौल, बिहार पटना।

विषय :-

2 सेकेन्ड्री स्टैन्डर्ड तथा 6 वर्किंग स्टैन्डर्ड माप तौल प्रयोगशाला भवनों के निर्माण के लिए 476 लाख रुपये (2013-14-200 लाख रुपये, 2014-15-276 लाख रुपये) की लागत से योजना कार्यान्वयन एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 में 200 लाख रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹2,00,00,000 (दो करोड़ रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-5810, दिनांक-26.11.2013 द्वारा 2 सेकेन्ड्री स्टैन्डर्ड तथा 6 वर्किंग स्टैन्डर्ड माप तौल प्रयोगशाला भवनों के निर्माण के लिए 476 लाख रुपये (2013-14-200 लाख रुपये, 2014-15-276 लाख रुपये) की लागत से योजना कार्यान्वयन एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 में 200 लाख रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹2,00,00,000 (दो करोड़ रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹2,00,00,000 (दो करोड़ रुपये) मात्र का व्यय बजट शीर्ष-3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ, उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-106-भार और माप का विनियमन, मांग सं-1-उपशीर्ष-0402-वैद्यानिक माप विद्या के सुदृढ़ीकरण, विपत्र कोड-S3475001060402-केन्द्रीय योजना, विषयशीर्ष-13 01-कार्यालय व्यय के अंतर्गत वित्तीय वर्ष, 2013-14 में उपबंधित राशि 200.00 लाख रुपये से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561, विं (2), दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-7857 विं (2), दिनांक-31.07.2013 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्यय पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरंत बाद टी०भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाज्ञा

(15) 02/12/13

(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :-

190 (आवंटन)

/ कृ०, पटना दिनांक 03/12/2013

प्रतिलिपि :- 1. महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(15) 02/12/13

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :-

१९० (ओवरटन)

/कृ०, पटना दिनांक ०३-१२- 2013

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बिहार, पटना/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक (योजना) कृषि विभाग, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/उप कृषि निदेशक, (प्रसार)-सह-निकासी एवं त्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/योजना शाखा एवं बजट शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) एवं मुख्यालय के सभी संबंधित पदाधिकारी कृषि विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2 निदेशक, लीगल मेट्रोलॉजी, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा उपभोक्ता सरक्षण मंत्रालय, उपभोक्ता सरक्षण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

१५/०२/२०१३  
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :-

१९० (ओवरटन)

/कृ०, पटना दिनांक ०३-१२- 2013

प्रतिलिपि :- उप कृषि निदेशक, (सूचना), बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

रजा

१५/०२/२०१३  
सरकार के संयुक्त सचिव।